गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर।

ई–नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित/निर्मित पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर स्थित रिक्त कियास्क संख्या–04 का ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दि0– 29/05/2023 से दिनांक 28/06/2023 तक पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि मे आनलाईन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 30/06/2023 को ई–नीलामी सम्पन्न की जायेगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम,शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। जिसपर इच्छुक व्यक्ति आनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं।

(यू0पी0सिंह)
सचिव।

(महेन्द्र सिंह तंवर)
उपाध्यक्ष।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर निर्मित कियास्क का ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1– कियास्क का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए किराये पर किया जायेगा। प्री–विडिंग की प्रकिया लागू होगी।

2– आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए रूपया–1,91,280.00 जमानत धनराशि जमा करना होगा।

3– प्रत्येक कियास्क का न्यूनतम किराया प्रतिमाह रूपया–19,128.00 है। बिड की बोली रू0–500.00 से कम की नहीं होगी।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी मे भाग ले सकेगा।

5– निविदा की बोली मे प्रतिस्पर्घात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास,प्राधिकरण, गोरखपुर मे निहित होगा।

6– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे किया जायेगा।

7– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 18% की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

8– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनााशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

9– कियास्क के 06 माह का किराया अग्रिम के रूप मे जमा करना होगा,जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10– कियास्क का 06 माह का किराया अग्रिम के रूप मे जमा करके पंजीकृत इकरारनाम निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा।

11– **आवंटित कियास्क का अधिकतम 03 माह के अन्दर इकरारनामा कराना अनिवा होगा अन्यथा आवंटन निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।**

12– नीलामी मे असफल आवेदक को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1000.00 मात्र की कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी,जिसपर कोई ब्याज देय नही होगा।

13– कियास्क मे खाद्य पदार्थ/खिलौना/आईसक्रिम आदि का व्यायापर अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि का व्यापार अनुमन्य नही होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

14– कियास्क मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पुर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष,गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15– किसी भी शासकीय कर आदि के भुगतान का दायित्व आवंटी का होगा।

16– कियास्क मे जल व विद्युत का कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी का होगा।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पार्क पर निर्मित रिक्त कियास्क संख्या–04 का ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर ।

(वित्तिय वर्ष 2023–24 के आधार पर)

सम्पत्ति का विवरणः–

योजना का नाम	कियास्क संख्या	कियास्क का क्षेत्रफल	न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह	जमानत धनराशि
पंडित.गोविन्द बल्लभ पन्त पार्क	04	6.44 वर्गमीटर	रू0–19,128.00	रू0–1,91,280.00